

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश एवं संयंत्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में संचालित चाय विकास परियोजना को समर्त चल-अचल सम्पत्ति सहित समाहित करते हुए उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड के गठन की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

1.उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड के मुख्य कार्यक्षेत्रः-

- 1.उत्तरांचल के पुराने बागानों का जीर्णोद्धार एवं नये बागानों की स्थापना.
- 2.उत्तरांचल में नये क्षेत्रों में चाय की खेती की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना.
- 3.आधुनिकतम रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
- 4.स्थानीय लोगों एवं कास्तकारों को चाय के कृषिकरण में प्रशिक्षित करना तथा प्रोत्साहित करना.
- 5.निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि में चाय प्लान्टेशन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना.
- 6.उत्तरांचल में चाय के कृषिकरण से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करना एवं किसानों को कृषिकरण में सहायता प्रदान करना.
- 7.उत्तरांचल चाय की गुणवत्ता निर्धारित करना (क्वालिटी कन्ट्रोल)
- 8.चाय के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य के मध्य समन्वय स्थापित करना.
- 9.निजी उद्यमियों को कास्तकारों की भूमि लीज पर लेकर चाय प्लान्टेशन हेतु उपलब्ध कराना.
- 10.फैक्ट्री स्थापित करने हेतु निजी उद्यमियों का आमंत्रित करना एवं फैक्ट्री स्थापित करवाना.
- 11.चाय की खेती के लिए सहकारी समितियों व स्वयं सहायता समूहों का गठन कर चाय विकास को बढ़ावा देना.
- 12.चाय की खेती को जैविक खेती के रूप में विकसित करने के लिए सर्वेक्षण, प्रचार-प्रसार एवं इस हेतु स्थानीय कास्तकारों/ उद्यमियों को प्रोत्साहित करना.
- 13.कास्तकारों से लीज में ली गई भूमि में चाय बागान विकसित कर भू-स्नामियों को इनके संचालन हेतु उपलब्ध करवाना.
- 14.चाय विकास से सम्बन्धित अभिलेखों एवं साहित्य का प्रकाशन/ डक्यूमेन्टेशन, सूचना एवं जन सम्पर्क, प्रशिक्षण आदि कार्यवाही सम्पन्न करना.

2. बोर्ड के वित्तीय श्रोतः—

1. उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड का कार्य मुख्य रूप से प्रदेश में चाय उत्पादन का विकास करना होगा, अतः यह बोर्ड उत्तरांचल शासन द्वारा देय अनुदान/राज सहायता के आधार पर संचालित होगा,
2. भारतीय चाय बोर्ड से प्राप्त अंशादान
3. निजी उद्यमियों को बोर्ड द्वारा विकसित चाय बागान हस्तान्तरित करने से प्राप्त आय.
4. बागानों से प्राप्त हरी पत्तियों से चाय तैयार कर विक्रय से आय
5. चाय पौध तैयार कर निर्धारित दरों में कारतकारों को विक्रय करने से प्राप्त धनराशि.
6. चाय पौध उत्पादन, चाय बागान अनुरक्षण आदि क्षेत्र में कन्सलटेन्सी प्रदान कर कन्सलटेन्सी फीस प्राप्त करना.

3—बोर्ड का मुख्यालय:—बोर्ड का मुख्यालय, अल्मोड़ा होगा.

4. चाय परियोजना के कर्मचारियों/ अधिकारियों का समायोजनः

वर्तमान परियोजना हेतु रखीकृत पदों के विपरीत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पद सहित वर्तमान सेवा शर्तों के साथ बोर्ड में समायोजित कर लिया जायेगा, परियोजना के द्वारा एक चाय विषेशज्ञ डा. एम.बी. तमंग को अनुबन्ध पर रखा गया है. बोर्ड को डा. तमंग की सेवाओं की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध कारिणी की संस्तुति पर पुनः अनुबन्ध पर रखा जा सकेगा, परियोजना द्वारा विभिन्न बागानों, नर्सरियों में जो स्टाफ अनुबन्ध/ संविदा पर रखा गया है, उनकी सेवाएँ यथावत बोर्ड में ले ली जायेगी तथा अग्रेतर इनकी सेवायें प्राप्त करने का निर्णय बोर्ड का रहेगा.

बोर्ड के अधीन समाहित होने में असहमति व्यक्त करने वाले कार्मिकों को यथारिति कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहमति से प्रत्यावर्तित किये जाने पर विचार किया जायेगा.

5. बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के सदस्यः—

बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के निम्न सदस्य होंगे:—

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा / सचिव, उद्यान, उत्तरांचल शासन | अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव / संयुक्त सचिव, उद्यान, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से निम्न न हो | सदस्य |
| 4. सचिव, वन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से निम्न न हो सदस्य | सदस्य |
| 5. डा०एम०वी०तमंग, चाय, विशेषज्ञ, कौसानी, अल्मोड़ा | सदस्य |
| 6. भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता, द्वारा नामित सदस्य | सदस्य |
| 7. श्री संजय बंसल, मैसर्स आर्केडिया, टी कम्पनी कोलकाता | सदस्य |
| 8. श्री एस०पी०चौरसिया, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स देहरादून टी कम्पनी | सदस्य |

9. निदेशक, चाय शोध पन्तनगर, विश्वविद्यालय,
 10. निदेशक / सामान्य प्रबन्धक, उत्तरांचल चाय
 विकास बोर्ड
 11. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि

सदस्य
 सदस्य / सचिव
 सदस्य

6. बोर्ड की संरचना:-

- उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. पूर्व में संचालित चाय परियोजना कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अन्तर्गत बोर्ड में समाहित होने वाले कार्मिकों की भविष्य निधि, ग्रेचुटी, अवकाश, वेतन आदि अन्य उपलब्धियों को नव गठित उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड को हस्तान्तरित किया जायेगा।
 8. बोर्ड के कार्यों के संचालन हेतु यथा आवश्यकतानुसार अवस्थापनाओं एवं स्टाफ के सृजन का प्रस्ताव पृथक से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

संख्या:- 159 / व0ग्रा0वि0 / उद्यान / 338 / 2003 / तददिनांक: 11-2-04

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सामान्य प्रबन्धक, चाय, उत्तरांचल चाय विकास परियोजना नैनीताल।

2- प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल विकास निगम, नैनीताल / देहरादून।

3- आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, पौडी / नैनीताल।

4- समरस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

6- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।

7- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।

8- अपर सचिव, गोपन, उत्तरांचल शासन।

9- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

10- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।

11- निजी सचिव, मा० उद्यान मंत्री जी उत्तरांचल।

12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरांचल चौबटिया रानीखेत।

13- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल।

14- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तरांचल।

15- अध्यक्ष, भारतीय चाय बोर्ड, 14एम०बी०टी०-सरानी मार्ग, कोलकाता।

16- सहायक निदेशक, भारतीय चाय बोर्ड, होलीडे होम, अल्मोड़ा।

17- डार्क फार्मिले।

आज्ञा से

१३/१११
 (एस०पी०सुबुद्धि)
 संयुक्त सचिव

प्रस्ताव

1. बोर्ड का नाम
2. संस्था का पूरा पता
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था का उद्देश्य

उत्तराँचल चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा
 उत्तराँचल चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा
 पो.ओ.—अल्मोड़ा जिला—अल्मोड़ा
 उत्तराँचल के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत
 उत्तराँचल चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा
 (उत्तराँचल) की स्थापना के मुख्य उद्देश्य
 उत्तराँचल में चाय की खेती के लिए वैज्ञानिक
 सर्वेक्षण, संरक्षण, कृषिकरण, पुराने चाय बागानों
 का जीर्णोद्धार कर इस क्षेत्र में चाय उत्पादन
 करना है, ताकि यह यहाँ के कृषकों की
 आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें और
 उत्तराँचल में तैयार की गई, चाय की विपणन
 व्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात किया जाना
 शामिल है।

5. प्रबन्ध परिषद के निम्न सदस्य होंगे:—

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास^{लायरी}
 शाखा / सचिव, उद्यान, उत्तराँचल शासन

अध्यक्ष
 (विभा पुरी दास)

2. अपर सचिव / संयुक्त सचिव, उद्यान, उत्तराँचल शासन

ग्राम्य विकास व पंचायती एज, उद्यान एवं सहकारिता
 सदर्जनारांथल शासन

3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराँचल शासन, देहरादून अथवा
 उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से
 निम्न न हो।

सदस्य
 उद्यान शासन
 अपर सचिव
 उद्यान
 उत्तराँचल शासन

4. सचिव, वन विभाग, उत्तराँचल शासन, देहरादून अथवा उनके द्वारा
 नामित अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से निम्न न हो सदस्य सदस्य,

(सी. भास्कर)
 अपर सचिव
 वन एवं पर्यावरण
 सदस्यल शासन

5. डा० एम० वी० तमंग, चाय, विशेषज्ञ, कौसानी, अल्मोड़ा

ZAW
(M.B.Tamang)

6. भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता, द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

7. श्री संजय बंसल, मैसर्स आर्केडिया, टी कम्पनी कोलकाता

सदस्य

(44)

8. श्री एसोपी०चौरसिया, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स देहरादून टी कम्पनी

सदस्य

9. निदेशक, चाय शोध पन्तनगर, विश्वविद्यालय,

सदस्य

10. निदेशक / सामान्य प्रबन्धक, उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड

सदस्य / सचिव

(21)

11. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि

सदस्य

6. "हम हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति - पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक बोर्ड का गठन किया है।